| आदेश की तिथि | हस्ताक्षरयुक्त आदेश | कार्यालय अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| | **वाद संख्या–48 / 2023** | |
| 03.10.2023 | अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री मन्दीप सिंह एवं अन्य, ग्राम–दुम्बी, पंचायत–कोपे, प्रखण्ड–मनिका, जिला–लातेहार अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार आयोग कार्यालय में उपस्थित।<br><br>आयोग के दिनांक–08.09.2023 के आदेश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार ने आयोग द्वारा निर्देशित सभी लाभुकों को उनका बकाया राशन मुआवजा सहित उपलब्ध करा दिये जाने का प्रमाण पेश किया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा पेश किये गये प्रमाण में सभी लाभुकों ने अपने हस्ताक्षर के माध्यम से यह माना है कि उन्हें जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बकाया राशन उपलब्ध करा दिया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदन के साथ शिकायतकर्ता द्वारा पावती की प्रति भी संलग्न है। आयोग के निर्देश के अनुपालन कर दिये जाने के कारण आयोग इस वाद को निष्पादित करता है।<br><br>आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें।<br><br>**(शबनम परवीन)**<br>सदस्य,<br>राज्य खाद्य आयोग, राँची।<br><br>**(हिमांशु शेखर चौधरी)**<br>अध्यक्ष,<br>राज्य खाद्य आयोग, राँची। | |

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx110